रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072025-264373
CG-DL-E-04072025-264373

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2916]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 3, 2025/आषाढ़ 12, 1947
No. 2916]	NEW DELHI, THURSDAY, JULY 3, 2025/ASHADHA 12, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2025

का.आ. 2983(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, बिहार राज्य के बांका जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग -133ई पर 52वें कि.मी. (51.800 कि.मी. से 52.320 कि.मी.) पर सुकनिया नदी पर पुराने पुल के मौजूदा स्थान पर नए उच्च स्तरीय आरसीसी प्रमुख पुल का निर्माण और इसकी पहुंच पथ की कुल लंबाई 370 मीटर (147 मीटर भागलपुर की ओर और 223 मीटर भलजोर की ओर) ईपीसी मोड पर अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि भूखंड के सम्बन्ध में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

बिहार राज्य के बांका जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग -133ई पर 52वें कि.मी. (51.800 कि.मी. से 52.320 कि.मी.) पर सुकनिया नदी पर पुराने पुल के मौजूदा स्थान पर नए उच्च स्तरीय आरसीसी प्रमुख पुल का निर्माण और इसकी पहुंच पथ की कुल लंबाई 370 मीटर (147 मीटर भागलपुर की ओर और 223 मीटर भलजोर की ओर) पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , बांका	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH133E के कि.मी 51.8 से कि.मी 52.32 तक	बिहार	बांका	बौसी	1 सुजापुर 2 डहुआ 3 मैनमा

[फा. सं. RW/PAT/NH-133E/Sukhaniya River/LA/2025]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2025

S.O. 2983(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction maintenance, management and operation of the Section of new High Level RCC Major Bridge at existing location of old Bridge across Sukhaniya river in km 52rd (Km 51.800 to Km 52.320) on NH-133E & its approaches having an aggregate length of 370m (147m Bhagalpur side and 223m Bhaljor side) in district Banka in the state of Bihar.

SCHEDULE

Land acquisition on Construction of new High Level RCC Major Bridge at existing location of old Bridge across Sukhaniya river in km 52nd (Km 51.800 to Km 52.320) on NH-133E & its approaches having an aggregate length of 370m (147m Bhagalpur side and 223m Bhaljor side) in district Banka in the state of Bihar on EPC mode.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	DLAO, Banka	NH133E KM 51.8 TO KM 52.32	BIHAR	BANKA	Bausi	1 Sujapur 2 Dahua 3 mainma

[F. No. RW/PAT/NH-133E/Sukhaniya River/LA/2025]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.07.04 12:03:07 +05'30'